राजस्थान विधान सभा

तृतीय सत्र

कार्य-सूची

मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई, 2009

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्रीमती जकिया, सभापति राजकीय उपक्रम समिति, 2009-2010 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगी :-

1. राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन(वाणिज्यिक) वर्ष 2003-2004) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2009-2010 का प्रथम प्रतिवेदन ;

2. राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन(वाणिज्यिक) वर्ष 2004-2005) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2009-2010 का द्वितीय प्रतिवेदन ;

3. राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन(वाणिज्यिक) वर्ष 2005-2006) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2009-2010 का तृतीय प्रतिवेदन ;

4. राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन(वाणिज्यिक) वर्ष 2003-2004) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2009-2010 का चतुर्थ प्रतिवेदन ;

5. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1997-98) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2009-2010 का पाँचवा प्रतिवेदन ;

6. राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन(वाणिज्यिक) वर्ष 1998-1999) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2009-2010 का छठा प्रतिवेदन ;

7. राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन(वाणिज्यिक) वर्ष 1999-2000) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2009-2010 का सातवां प्रतिवेदन ;

8. राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन(वाणिज्यिक) वर्ष 2000-2001) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2006-2007 के 60वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक परिपालनात्मक प्रतिवेदन) राजकीय उपक्रम समिति, 2009-2010 का आठवां प्रतिवेदन ।

3. याचिका का उपस्थापन

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य विधान सभा सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के खान श्रमिकों को ई.एस.आई. सुविधा उपलब्ध कराने बाबत ई एस आई औषधालय खोलने हेतु एक याचिका का उपस्थापन करेंगी ।

4. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम-131 के अन्तर्गत श्री राजपाल सिंह शेखावत/श्री केसाराम चौधरी/श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा/श्री ज्ञानदेव आहूजा/श्री रामहेत सिंह/श्री अशोक परनामी, सदस्य विधान सभा प्रदेश में आई.आई.एम., आई.आई.टी., केन्द्रीय विश्वविद्यालय एवं विश्व-स्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु स्थान का चयन तर्कसंगत एवं न्यायपूर्ण ढंग से करने बाबत् तकनीकी शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

5. परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-2010
द्वितीय अवस्था
अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा :-

क्र.सं.	मांग संख्या
1.	42- उद्योग
2.	47- पर्यटन

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे ।)

एच.आर. कुड़ी
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 20 जुलाई, 2009